लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 267

02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कंपनियों का पुनरुद्धार

267. श्री सेल्वाराज वी.:

श्री सुब्बारायण के.:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के सात उद्यमों - राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड और इसकी पांच सहायक कंपनियां और ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बंद करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान इन कम्पनियों की वित्तीय स्थिति क्या रही है;

(ग) क्या सरकार ने इन कंपनियों का पुनरुद्धार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो इसके परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन कम्पनियों में कितने कर्मचारी/श्रमिक कार्यरत हैं; और

(ङ) क्या उक्त कंपनियों के कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में गठित अधिकारी समूह (सीजीओ) की समिति ने दिनांक 27.01.2022 को हुई अपनी बैठक में ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीआईसी) को बंद करने की सिफारिश की और दिनांक 4.4.2022 को राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसी) को उसकी 23 मिलों के साथ बंद करने की सिफारिश की।

(ग): वर्ष 2002 में, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन (बीआईएफआर) ने एनटीसी के लिए पुनरूद्धार को मंज़ूरी दी थी, जिसके अनुसार एनटीसी द्वारा 53 मिलों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव था। यद्यपि, इस पुनरूद्धार योजना को बाद में संशोधित किया गया, पहले वर्ष 2006 में और फिर वर्ष 2008 में। तब से, एनटीसी द्वारा 23 मिलों को चालू किया गया। तथापि, दिनांक 25.03.2020 को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के कारण इन मिलों का प्रचालन रोक दिया गया था। इसके बाद, लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट के साथ, कुछ मिलों का प्रचालन फिर से शुरू किया गया, परंतु वर्ष 2021 के बाद इसे जारी नहीं रखा जा सका।

जहां तक बीआईसी का संबंध है, लगातार हानि की वजह से, बीआईसी को वर्ष 1991 में बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन (बीआईएफआर) के पास संदर्भित किया गया और वर्ष 1992 में इसे रूग्ण घोषित कर दिया गया। कैबिनेट ने दिनांक 21.11.2000 को 211 करोड़ रुपये की लागत से एक पुनरूद्धार योजना को मंज़ूरी दी। योजना की लागत सरप्लस ज़मीन और परिसंपत्तियों को बेचकर पूरा किया जाना था। बीआईएफआर ने दिनांक 18.12.2002 को बीआईसी की रिहैबिलिटेशन स्कीम के ड्राफ्ट को मंज़ूरी दी, जिसे दो साल के अंदर लागू किया जाना था। यद्यपि, बीआईसी की संपत्तियों की बिक्री नहीं हो सकी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने लीज़होल्ड/ नजूल ज़मीन को फ्रीहोल्ड में बदलने की इजाज़त नहीं दी थी। वर्ष 2012 में बीआईसी में उत्पादन गतिविधि बंद हो गई।

(घ): एनटीसी और उसकी पांच सहायक कंपनियों में कर्मचारियों/कामगारों की वर्तमान संख्या (दिनांक 30.09.2025 तक) 8301 है। बीआईसी के संदर्भ में, दिनांक 01.11.2025 तक यह संख्या 201 है।

(ङ): जहां तक एनटीसी का संबंध है, सभी इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस (आईडीए) कर्मचारियों और आवश्यक सेवाओं के लिए ज़रूरी कामगारों को जनवरी, 2025 तक पूरा वेतन और भत्ते दिए जा चुके हैं और फरवरी, 2025 महीने के लिए अंतरिम राहत की 25% राशि दी जा चुकी है। बाकी कामगारों को जून, 2023 तक उनका 100% वेतन दिया जा चुका है, जनवरी, 2025 तक उनका 50% वेतन दिया जा चुका है और फरवरी, 2025 महीने के लिए अंतरिम राहत की 25% राशि दी जा चुकी है। पांच सहायक कंपनियों ने दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 तक वेतन का भुगतान कर दिया है। बीआईसी के संदर्भ में, मार्च, 2025 तक वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

***